WWW.LAWTREND.IN

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

कक्ष संख्या–42

वादः आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या– 13883 / 2020

आवेदकः– आशू रावत
विपक्षीः– उत्तर प्रदेश सरकार एवं एक और
आवेदक के अधिवक्ताः– अंशुल कुमार सिंघल
विपक्षी के अधिवक्ताः– शासकीय अधिवक्ता

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान आवेदन भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल की गयी है तथा प्रार्थना की गयी है कि मुकदमा संख्या 18749/2020, सी.एन.आर.संख्या U.P.G.Z040293092020 (सरकार बनाम आशू रावत) मु0अ0सं0 2226/19, अंतर्गत धारा 67/67–ए सूचना प्रौधोगिकी (संशोधन)अधिनियम 2008 में आवेदक के विरूद्व दाखिल आरोप पत्र दिनांक 19.01.2020, सम्मन आदेश दिनांक 20.06.2020 एवं इसके फलस्वरूप समस्त कार्यवाही को रद्द किया जाये।

2. अंशूल कुमार सिंघल, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने बिना अपने न्यायिक मानस का उपयोग करे, यांत्रिक रूप से अपराध का संज्ञान, धारा 190 (बी) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत लिया है और आवेदक के विरूद्व एक पूर्व में मुद्रित प्रपत्र पर रिक्त स्थानों पर सम्मन की तिथि व मुकदमें का विवरण लिख कर सम्मन जारी किया है। अपने कथन के समर्थन में इस न्यायालय के दृष्टान्त **अंकित बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2010 (1) जे.आई.सी, 432** को उद्वत किया जिसमें, पूर्व मुद्रित प्रपत्र पर संज्ञान लेने की परिपाटी की आलोचना की गयी है और ऐसा संज्ञान जिसमें न्यायिक मानस का उपयोग नहीं किया गया है, रद्द किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि यह कृत न्यायालय की कार्यवाही का दुरूपयोग है। अतः यह उच्च न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियां का उपयोग करते हुए आक्षेपित सम्मन आदेश व उसके फलस्वरूप समस्त कार्यवाही को रद्द करें।

3. सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त निवेदन का विरोध किया और कथन किया कि संज्ञान लेते समय न्यायालय को कोई विस्तृत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद ही अपराध का संज्ञान लिया गया। अतः आक्षेपित आदेश में कोई वैधानिक त्रृटि नहीं है।

WWW.LAWTREND.IN

4. आवेदक व सरकार के विद्वान अधिवक्ता के कथन का श्रवण किया व आवेदन व संलग्नकों का परिशीलन किया।

<u>उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँः</u>

5. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 482, उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति के प्रावधान के सम्बंध में है जो निम्न है,–

> ''इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरूपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।''

6. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को इस संहिता के किसी प्रावधान से सीमित नहीं किया जा सकता है। यह वो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए या न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों। यह शक्तियां इस संहिता के तहत उच्च न्यायालय को नहीं प्राप्त होती हैं, बल्कि यह शक्तियां उच्च न्यायालय में अन्तर्निहित हैं, जिसे मात्र संहिता के एक प्रावधान द्वारा घोषित किया गया है।

7. उच्चतम न्यायालय ने कई विधिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया है, कि इन शक्तियों का दायरा व्यापक है, परंतु इनका उपयोग संयम एवम् सावधानीपूर्वक ही किया जाना चाहिए। इसके उपयोग से किसी भी वैधानिक अभियोजन की आकस्मिक मृत्यु नहीं की जा सकती है।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

8. धारा 190 द0प्र0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लेना एक गंभीर प्रक्रिया है जिसको यांत्रिक रूप से नहीं लिया जा सकता है। न्यायालय को पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का परीशीलन कर,मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक मानस का उपयोग करके ही इस धारा के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेना चाहिए। यह सही है कि संज्ञान लेते समय विस्तृत सकारण आदेश लिखने की आवश्यकता नहीं है परन्तु न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिये और आदेश में परिलक्षित भी होनी चाहिए कि प्रकरण में संज्ञान लेने के

WWW.LAWTREND.IN

पर्याप्त आधार है। (देखें **फखरूद्दीन अहमद बनाम उत्तरांचल सरकार व अन्य, 2009(64) ए.सी.सी. 774 के प्रस्तर 11,12,13,14, एवं 15**)

9. इस प्रकरण में आक्षेपित आदेश निम्न हैः–

''मुकदमा संख्या– 18749/2020

मु0अ0सं0–2226/19

अन्तर्गत धारा– 67/67–ए आई टी अधि0

थाना– कविनगर

आज यह आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर अभियुक्त के विरूद्व अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः मामले का संज्ञान धारा 190 (बी) दं0प्र0सं0 के तहत लिया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। समन बनाम अभियुक्त दिनांक 26.8.20 के लिए जारी हों''

(रेखाकिंत शब्द हस्तलिपि में पूर्व में रिक्त स्थान पर भरे गये हैं।)

10. उपरोक्त आदेश से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक मानस का उपयोग करे बिना ही एक पूर्व में मुद्रित प्रपत्र पर यांत्रिक रूप से रिक्त स्थानों को भरके आक्षेपित सम्मन का आदेश पारित किया है जो इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के विरूद्व है। (देखें **अवधेश बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्यः 2019 (6) ए.डी.जे, 667 का प्रस्तर 12,13 एवं 16; सौरभ दीवाना बनाम उ0प्र0 सरकारः 2010(3) ए.डी.जे. 622;** व **सुदेश भदौरिया बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्यः 2020(8) ए.डी. जे. 54)**

11. न्यायिक आदेश को यांत्रिक रूप से पूर्व में मुद्रित प्रपत्र पर रिक्त स्थानों को पूर्ण करके पारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी प्रवृत्ति की, इस उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में निन्दा की है। ऐसे आदेश की पुनारावति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न केवल न्यायिक मानस का उपयोग न करना दर्शाता है बल्कि न्यायिक मानदंडो के प्रतिकूल भी है। ऐसी प्रथा को तत्काल रोक देना चाहिये। यहां यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि आपराधिक मामले में अपराध का संज्ञान लेना व अभियुक्त को सम्मन करना एक गंभीर विषय है। इसलिए आदेश में यह आवश्यक रूप से दर्शाया जाना चाहिये कि मजिस्ट्रेट ने अपना न्यायिक मानस का उपयोग करते हुए वाद के तथ्यों व विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही आदेश पारित किया है।

12. उपरोक्त विशेलषण में यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में, इस न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियाँ का उपयोग करना उचित है क्योंकि आक्षेपित आदेश के कारण

WWW.LAWTREND.IN

न्यायालय की कार्यवाही का दुरूपयोग हुआ है। अतः आक्षेपित आदेश दि0 20.06.2020 (सम्मन आदेश) निरस्त किया जाता है तथा अवर न्यायालय को पत्रावली वापस की जाती है तथा निर्देश किया जाता है कि धारा 190(2) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत उपरोक्त विश्लेषण व निष्कर्ष को ध्यान में रखकर पुनः आदेश पारित करें।

13. आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आदेश दिनांक :- 29.09.2020

अवधेश